न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 29/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1पवन कच्छावा पुत्र पापालाल जाति माली निवासी गाडियावास, चेनार तहसील व जिला नागौर। फर्म–होटल सरस्वती, रघुनाथ मार्केट, अजमेर रोड, नागौर। 2पापालाल कच्छावा पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी गाडियावास, चेनार तहसील व जिला नागौर। फर्म–होटल सरस्वती, रघुनाथ मार्केट, अजमेर रोड, नागौर।

आदेश दिनांक :13.02.2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 19-02-2019 को मैसर्स होटल सरस्वती, रघुनाथ मार्केट, अजमेर रोड, नागौर पर पनीर में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1103 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 183/एक्ट/2019/237 दिनांक 27.03.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पनीर Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पवन कच्छावा पुत्र पापालाल जाति माली निवासी गाडियावास, चेनार तहसील व जिला नागौर तथा पापालाल कच्छावा पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी गाडियावास, चेनार तहसील व जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 17-06-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित हुए तथा खाद्य पदार्थ का नमूना लिया जाना स्वीकार भी किया गया है तथा क्वालिटी मे सुधार कर भविष्य मे गलती नही करने हेतु आश्वस्त किया गया है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 183/एक्ट/2019/237 दिनांक 27.03.2019 के अनुसार पनीर का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 पवन कच्छावा पुत्र पापालाल जाति माली निवासी गाडियावास, चेनार तहसील व जिला नागौर तथा अप्रार्थी सं. 2 पापालाल कच्छावा पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी गाडियावास, चेनार तहसील व जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रू. 25,000/– अक्षरे रूपये पच्चीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)